गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 14.07.2023 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 14.07.2023 को सायं 04:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	प्रो0 आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 पी.के. बाजपेयी	सदस्य
3.	प्रो0 प्रवीण कुमार मिश्रा	सदस्य
4.	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	सदस्य
5.	प्रो0 अशोक कुमार मिश्रा	सदस्य
6.	प्रो0 एम.एन. त्रिपाठी	सदस्य
7.	प्रो0 शरद चन्द्र श्रीवास्तव	सदस्य
8.	प्रो0 सीमा राय	सदस्य
9.	प्रो0 राजेन्द्र मेहता	सदस्य
10.	प्रो0 सी.एस. वझलवार	सदस्य
11.	प्रो0 ब्रजेश तिवारी	सदस्य
12.	प्रो0 एस.सी. तिवारी	सदस्य
13.	प्रो0 एम.के. सिंह	सदस्य
14.	डॉ0 बुद्धेश्वर प्रसाद सिंगरौल	सदस्य
15.	डॉ0 पायल बनर्जी	सदस्य
16.	प्रो0 व्ही.एस. राठौर	विशेष आमंत्रित सदस्य
17.	प्रो0 मनीष श्रीवास्तव, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तथा कुलपति महोदय के द्वारा उपस्थित सदस्यों से आपस में मिल–जुल कर सहयोग के साथ कार्य करने के लिए प्रेरणादायी उद्बोधन प्रदान किया गया। तत्पश्चात् निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र.01 **विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 04.07.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।**

निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 04.07.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

विषय क्र. 02 **विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 04.07.2023 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने स्थायी समिति की बैठक दिनांक 04.07.2023 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की।

विषय क्र. 03. **विश्वविद्यालय में यू–ट्यूब चैनल प्रारंभ किये जाने पर विचार।**

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में यू–ट्यूब चैनल प्रारंभ किये जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

14/07/2023 14/07/23

विषय क्र. 04. अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 28.06.2023 द्वारा इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग की अनुशंसित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना के अनुमोदन पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 28.06.2023 द्वारा इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग की अनुशंसित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना का अनुमोदन किया जाय।

संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि पाठ्यक्रम एवं अंक योजना अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप हो।

विषय क्र. 05. विद्यापरिषद की स्थायी समिति के समक्ष GSL के लिए लोगो के प्रारूप पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि GSL के लिए अनुशंसित लोगो का संशोधन के साथ अनुमोदन किया जाय तथापि लोगो को अंतिम रूप देने हेतु पुनर्विचार कर लिया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के मोनो, नाम या प्रतीक चिन्हों आदि के लिये अक्षरों के आकार, रंग, अंतर आदि के निर्धारण हेतु समिति गठित की जाय। समिति के सदस्य नामित किये जाने हेतु कुलपति महोदय अधिकृत रहेंगे।

विषय क्र. 06. बालिका छात्रावासों में छात्राओं के प्रवेश के समय बढ़ाने तथा उन्हें बाहर जाने की अनुमति के संबंध में विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि बालिका छात्रावास में निवासरत् छात्राओं को ग्रीष्म ऋतु में सायं 7:00 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी तथा शीत ऋतु के दिनों में सायं 6:30 बजे तक छात्रावास में प्रवेश कर सकते है।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि शनिवार एवं रविवार को छात्राओं का छात्रावास से बाहर जाने संबंधी प्रावधान यथावत् रहेंगे।

विषय क्र. 07. पूर्व सैनिक कोटे से केन्द्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश देने विषयक प्राप्त आवेदन पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तुत प्रस्ताव स्थगित रखा जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि आरक्षण प्रदान किये जाने संबंधी प्रावधानों के अध्ययन एवं परीक्षण हेतु तथा यथोचित अनुशंसा प्रस्तुत कराने समिति गठित की जाय। समिति के सदस्य नामित किये जाने हेतु कुलपति महोदय अधिकृत रहेंगे।

विषय क्र. 08. अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 01.07.2023 द्वारा इंडस्ट्रीयल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग विभाग की अनुशंसित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना के अनुमोदन पर विचार।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 01.07.2023 द्वारा इंडस्ट्रीयल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग विभाग की अनुशंसित पाठ्यक्रम एवं अंक योजना का अनुमोदन किया जाय।

संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि पाठ्यक्रम एवं अंक योजना अध्यादेश के प्रावधानों के अनुरूप हो।

14/07/2023

14/07/23

विषय क्र. 09. विश्वविद्यालय में छात्र–छात्राओं को विभिन्न प्रकार के आर्थिक सहायता–छात्रवृत्ति, फेलोशिप, शुल्क रियायत आदि देने हेतु प्रस्तावित विनियम (Regulation) पर विचार करने हेतु।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में छात्र–छात्राओं को विभिन्न प्रकार के आर्थिक सहायता–छात्रवृत्ति, फेलोशिप, शुल्क रियायत आदि देने हेतु प्रस्तावित विनियम (Regulation) का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 10. विश्वविद्यालय की विभिन्न नीतियों के प्रारूप पर विचार करना।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय की विभिन्न नीतियों के प्रारूपों का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि अनुमोदित नीतियों एवं विश्वविद्यालय के प्रभावी परिनियम, अध्यादेश, विनियमों के प्रावधानों में विरोधाभास होने पर विश्वविद्यालय के परिनियम, अध्यादेश, विनियम के प्रावधान प्रभावी माने जायेंगे।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

अ.अ.वि.क्र.–1 विश्वविद्यालय में ड्रोन टेक्नालॉजी के लिए इनोवेशन केन्द्र स्थापित किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि स्थायी समिति उक्त केन्द्र स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत है तथा पाठ्यक्रम प्रारम्भ कराये जाने संबंधी यथोचित कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

अ.अ.वि.क्र.–2 अधिष्ठाताओं की बैठक दिनांक 13.07.2023 के कार्यवृत्त विद्यापरिषद की स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये।

स्थायी समिति ने बैठक के कार्यवृत्त के तीनों विषयों पर चर्चा की तथा निम्नानुसार निर्णय लिया –

1. प्रथम विषय के निर्णयों को स्थगित रखा जाय।
2. द्वितीय विषय पर प्राप्त अनुशंसाओं को मान्य किया जाय।
3. तीसरे विषय पर प्राप्त अनुशंसाओं को इन संशोधनों के साथ मान्य किया जाय कि सेतु पाठ्यक्रम अधिकतम 06 क्रेडिट का हो सकता है तथा इस पाठ्यक्रम को ऑन लाईन या ऑफ लाईन जैसे भी सम्भव हो सम्पन्न कराया जायेगा।

अ.अ.वि.क्र.–3 अकादमी शाखा द्वारा सीयूईटी यूजी की काऊंसलिंग के लिए प्रस्तावित समय–सारिणी एवं दिशा–निर्देशों का अवलोकन किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि एनटीए द्वारा सीयूईटी परिणामों की घोषणा में विलम्ब होने पर तिथियों में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जा सकती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

14/07/23 14/07/2023

कुलसचिव (कार्यवाहक) / सचिव **कुलपति / अध्यक्ष**